



सराहनीय कार्य- जनपद पीलीभीत

दिनांक -30.07.2022

“मिले पैसे तो वापस लौटी मुस्कान”

साइबर क्राइम सेल पीलीभीत द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुये ऑनलाइन फ्रॉड में गयी धनराशि को कराया वापस।

आवेदक श्री शाहनवाज अली पुत्र श्री मुवारक अली निवासी मोहल्ला चौक थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत के साथ दिनांक 18.06.2022 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन काल कर अपने आप को एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का अधिकारी बताकर एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ड क्रेडिट कार्ड का 5000 रुपये का आफर देते हुए एक्सिस बैंक के वीजा क्रेडिट कार्ड से 2,00,000 रुपये की हुई अवैध निकासी के सम्बन्ध में दिनांक 22.06.2022 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद पीलीभीत श्री दिनेश कुमार पी0 (IPS) के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा तत्काल संबंधित कम्पनी एवं मर्चेन्ट से सम्पर्क कर आवेदक शाहनवाज अली उपरोक्त के साथ फ्रॉड हुयी सम्पूर्ण धनराशि 2,00,000/- रुपये को आवेदक के खाते में वापस कराने में सफलता प्राप्त की।

पीड़ित की सम्पूर्ण धनराशि (2 लाख रुपये) वापस होने पर आवेदक द्वारा साइबर क्राइम टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी एवं धन्यवाद भी प्रकट किया गया।

क्र0स0	नाम पता वादी	फ्रॉड हुयी धनराशि	वापस करायी गयी धनराशि
1	श्री शाहनवाज अली पुत्र श्री मुवारक अली निवासी मोहल्ला चौक थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत।	2,00,000	2,00,000

साइबर क्राइम सैल पीलीभीत टीम

- 1.निरीक्षक श्री अजय कुमार यादव प्रभारी साइबर क्राइम सेल जनपद पीलीभीत।
- 2.कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 'ए' अंकुर कुमार साइबर क्राइम सेल जनपद पीलीभीत।
- 3.आरक्षी अनुज कुमार साइबर क्राइम सेल जनपद पीलीभीत।
- 4.आरक्षी अंकित कुमार साइबर क्राइम सेल जनपद पीलीभीत।

साइबर अपराधो से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश :-

- साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन न0 1930 पर दे।
- साइबर अपराध, एनसीआरपी पोर्टल की बेबसाइट – www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।
- खाते में KYC अपडेट कराने के लिये बैंको द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी/OTP/CVV/पिन नम्बर आदि नहीं माँगे जाते हैं।
- किसी के कहने पर कोई भी रिमोट एक्से एप जैसे – एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि डाउनलोड न करें।
- किसी भी बेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह जाँच करे लें।
- ऑनलाइन सेवाएँ प्रादन करने वाली कम्पनियों व सरकारी विभाग/कम्पनियों के कस्टमर केयर का नम्बर आधिकारिक बेबसाइट से ही प्राप्त करें।
- अज्ञात व्यक्ति / अज्ञात मोबाइल नम्बर द्वारा भेजी गयी लिंक को/पर क्लिक न करें।
- सरकारी उपक्रम, बेबसाइट या फण्ड की आधिकारिक बेबसाइट से ही वित्तीय लेनदेन करें।
- किसी से पैसा प्राप्त करते समय अपनी यूपीआई आईडी/पासवर्ड न डालें, पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- वॉलेट अपडेट और केवाईसी नजदीकी ऑथराइज्ड सेन्टर पर जाकर ही प्राप्त करायें।
- अपने सोशल एकाउन्ट व बैंक खाते का पासवर्ड स्ट्रॉंग बनायें, जिसमें नम्बर, अक्षर व चिन्ह तीनों हो, साथ ही टू-स्टेप-वेरीफिकेशन लगाये रखें।
- यदि आपका फोन चोरी हुआ है तब तत्काल उक्त फोन में पड़ी हुयी सिम के बन्द कराये जो बैंक खाते से लिंक तथा सम्बन्धित थाना से अथवा uppolice.gov.in बेबसाइट पर जाकर उक्त चोरी हुये मोबाइल की गुम सम्पत्ति की रिपोर्ट अवश्य दर्ज कराये तथा साइबर फ्रॉड से बचे।